अध्याय- VIII : संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी

8.1 भंडारण व्यवस्था पर व्यर्थ निवेश

एक दशक से अधिक समय से राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में मुख्य पदों को भरने में संस्कृति मंत्रालय की विफलता का परिणाम 16582 कलाकृतियां को उत्कृष्ट भंडारण व्यवस्था में पुनर्स्थापित करने में विफलता में हुआ। जो मार्च 2014 से ₹3.81 करोड़ के व्यर्थ व्यय का कारण बना।

चूंकि प्रबंधन, भण्डारण तथा इसके संग्रहण में कलाकृतियों की पुन: प्राप्ति करने की वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त थे, इसलिए राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी (एनजीएमए) ने 2009 में निर्मित एक भवन में उत्कृष्ट भंडारण प्रणाली को स्थापित[1] करने का प्रस्ताव (अक्टूबर 2011) रखा। संस्कृति मंत्रालय ने प्रस्ताव को अनुमोदित (जुलाई 2013) कर दिया तथा कार्य ₹3.81 करोड़ की लागत से (मार्च 2014) पूरा हुआ। एनजीएमए ने अब तक (दिसंम्बर 2016) 16,582 कलाकृत्तियों को अपने संग्रहण से नयी भण्डारण व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं किया है।

एनजीएमए संग्रह को स्थानांतरित करने की विफलता के लिए पिछले 10 वर्ष से कला संग्रह के संग्रहाल्याध्यक्ष और उप-संग्रहाल्याध्यक्ष के पद खाली रहने को आरोपित (फरवरी 2016) किया। एनजीएमए ने आगे सूचित किया (अगस्त 2016) कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), व्यवस्था का निरीक्षण (मई 2016) कर चुका था तथा इसका प्रतिवेदन प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि एनजीएमए संग्रहाल्याध्यक्ष और उप-सग्रंहाल्याध्यक्ष के पदों को अगस्त सितंबर 2016 में भर चुका था और सीआईएसएफ का सुरक्षा प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका था (अगस्त 2016), फिर भी एनजीएमए/मंत्रालय ने सुरक्षा प्रतिवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया तथा

[1] जयपुर भवन के नये स्कंध के भूतल में समर्पित क्षेत्र

अभी तक (दिसम्बर 2016) कला संग्रह भी नयी भण्डारण व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2016 में भेजा गया था; जनवरी 2017 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

टैगोर सांस्कृतिक भवन-समूह योजना

8.2 वित्तीय नियमों का पालन न होने के कारण निधियों का अवरोधन व ब्याज की हानि।

एक परियोजना को मॉनीटर करने और वित्तीय नियमों में वर्णित उचित अनुच्छेद को सम्मिलित करने में संस्कृति मंत्रालय की विफलता टैगोर सांस्कृतिक भवन-समूह के लिए योजना के अन्तर्गत गोवा सरकार को दी गई अप्रयुक्त सहायता पर अनुदान ₹2.14 करोड़ के अवरोधन और ₹0.86 करोड़ के ब्याज की हानि के रूप में परिणामित हुई।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) का नियम 209(6) (xi) अनुबंधित करता है कि सहायता अनुदान तथा उस पर ब्याज की वापसी संबंधित अनुच्छेद को स्पष्ट रूप में अनुदान के अनुमोदन पत्र में वर्णित किया जाना चाहिए।

संस्कृति मंत्रालय ने गोवा सरकार को टैगोर सांस्कृतिक भवन-समूह के लिए योजना के अन्तर्गत मार्गोवा स्थित रवीन्द्र भवन कॉम्पलैक्स, को सुन्दर बनाने की परियोजना हेतु, इस आवश्यकता मांग के साथ कि परियोजना छह माह में पूरी हो जानी चाहिए, ₹2.14 करोड़ सहायता अनुदान के रूप में जारी किए। तथापि, मंत्रालय परियोजना को मॉनीटर करने में विफल रहा, राज्य सरकार ने अन्ततः सूचित किया (सितम्बर 2014) कि तकनीकि गड़बड़ी के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया गया और अनुदान को लौटा दिया गया (मार्च 2016)। चूंकि मंत्रालय अनुदान अनुमति पत्र में ब्याज अनुच्छेद को शामिल करने में विफल रहा, अतः ₹0.86 करोड़ के ब्याज की उगाही नहीं की जा सकी।

इस प्रकार मंत्रालय द्वारा परियोजना को मॉनीटर करने और जीएफआर में वर्णित ब्याज अनुच्छेद को अनुमति आदेश में शामिल न कर सकने की

विफलता चार वर्ष तक ₹2.14 करोड़ के अवरोधन और ₹0.86 करोड़ के ब्याज की हानि के रूप में प्रतिफलित हुई।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (जुलाई और सितम्बर 2016) कि ब्याज से संबंधित आवश्यक संशोधन शामिल कर लिए जाएंगे। तथापि मंत्रालय को भी परियोजनाओं की बेहतर मॉनीटरिंग हेतु एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए अनुदान दिए गए थे ताकि निधियाँ बेवजह अवरूद्ध न रहें।